राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प रोड़वा कंला
तहसील पचपदरा, पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

मुकदमा नम्बर –191/17

वादीगण

1. फुसाराम पुत्र कालुराम जाति भील
2. बस्ताराम पुत्र श्री कालुराम जाति भील
3. भीयाराम पुत्र श्री कालुराम जाति भील
4. पपुराम पुत्र श्री कालुराम जाति भील
5. श्रीमति भीखी पत्नी श्री कालुराम जातियान भील निवासीयान–रामदेव नगर थुम्बली तहसील पचपदरा जिला– बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीण :–

1. भैराराम पुत्र श्री छोगाराम
2. राणाराम पुत्र श्री छोगाराम
3. सुआ देवी पत्नी मिसराराम
4. सोनाराम पुत्र मिसराराम
5. मूलाराम पुत्र मिसराराम
6. मांगीलाल पुत्र मिसराराम
7. जेठाराम पुत्र मिसराराम
8. मंगलाराम पुत्र मिसराराम
9. जमणा बेवा देवाराम
10. गंगाराम पुत्र देवाराम
11. सुरताराम पुत्र देवाराम
12. कानाराम पुत्र सुतराराम
13. गोपाराम पेुत्र श्री सुतराराम
14. गोपाराम पुत्र श्री सुतराराम
15. बिंजाराम पुत्र श्री सुतराराम
16. पपाराम पुत्र श्री भंवराराम
17. राजूराम पुत्र श्री भंवराराम जातियान भील निवासीयान– रामदेव नगर थूम्बली तहसील पचपदरा जिला– बाड़मेर
18. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा, जिला बाड़मेर

88 दावा बाबत घोषणा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प..........................

आदेश **दिनांक : 10.05.2018**

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार रोडवा कंला में पेश हुई प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने वाद पत्र पेश कर जाहिर किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या –1 ता 2 की पुश्तैनी खातेदार खेत ख0प0 269 रकबा 22 बीघा 06 विस्वा भूमि में से हिस्सा 1/2 अर्थात 11 बीघा 03 विस्वा सरहद मौजा रामदेव नगर पटवार क्षेत्र थुम्बली भू–अभिलेख क्षेत्र बागावास व ख0 न0 190 रकबा 00 बीघा 02 बिस्वा ख0 न0 191 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व ख0 न0 192 रकबा 00 बीघा 05 बिस्वा भूमि सरहद मौजा रोडवाकला मे आयी हुई है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा कास्त है। उक्त भूमि वादीगण के पिता कालूराम

Scanned by CamScanner

लगभग 40 की उम्र में गांव से लापता हो गया था। तब से परिवाजन की खोजबीन करने के बावजूद भी वादी के पिता कालूराम का अता–पता नहीं चला। अतः वादीगण अपने पिता की भूमि वारिसान के हक से व वादी की माता अपने पति के खातेदारी खेत मे हक हिस्सा ख0 न0 269 रकबा 22 बीघा 06 विस्वा भूमि मे से हिस्सा 1/2 अर्थात 11 बीघा 03 विस्वा सरहद मौजा रामदेव नगर पटवार क्षेत्र थुम्बली भू–अभिलेख क्षेत्र बागावास व ख0 न0 190 रकबा 00 बीघा 02 बिस्वा ख0 न0 191 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व ख0 न0 192 रकबा 00 बीघा 05 बिस्वा भूमि सरहद मौजा रोडवाकला भूमि में वादीगण का खेत खसरा न0 269 रकबा 22 बीघा 06 विस्वा भूमि में से हिस्सा 1/2 मे से 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में बाई मिट्स एण्ड् बाउण्डस के बटंवाडा कर वादीगण का हिस्सा अलग तरमीम करने हेतु के वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है।

जिस पर उपस्थित ब्यान कर्ता फूसाराम, बस्ताराम, पप्पुराम, भैराराम पुत्र छोगाराम, भीखी पत्नि कालूराम, राणाराम पुत्र छोगाराम के ब्यानों में जाहिर किया कि उक्त खातेदार के खसरा न0 खेत ख0न0 269 रकबा 22 बीघा 06 विस्वा भूमि सरहद मौजा रामेदेव नगर मे वादीगण का हिस्सा सम्पूर्ण भूमि में से हिस्सा 1/2 मे से 1/3 है । वादी अपने गुमसुदा पिता व भीखी अपने गुमसुदा पति के खातेदारी भूमि में अपने वारिसान नाम दर्ज करने का निवेदन किया जो सही व सत्य है। हम वादीगण व वादीगण के वारिसानों को अच्छी तरह से पहचानते है। उक्त प्रकरण पटवारी /आर आई/ तहसीलदार पचपदरा की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जिसमें सयुक्त रिपोर्ट के अनुसार वादीगण के गुमसुदा पिता /पति के खातेदारी भूमि में उनका व उनके वारिसान के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादीगण के प्रस्तुत वाद पत्र के साथ पेश दस्तावेजात व तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट अनुसार खेत ख0न0 269 रकबा 22 बीघा 06 विस्वा भूमि सरहद मौजा रामेदेव नगर मे वादीगण का हिस्सा सम्पूर्ण भूमि में से हिस्सा 1/2 मे से 1/3 दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। व वादीगण के माता भीखी के पति कालूराम का हिस्सा वादीगण की माता भीखी का हिस्सा रहेगा जब तक भविष्य में वादीगण के पिता वापस लौट आने तक वादीगण की माता भीखी का हिस्सा का रहेगा। भीखीदेवी को प्राप्त हक हिस्सा उसके पति कालूराम के वापस लौटने तक धारित होगा एवं कालूराम के वापस लौटने पर भीखी का हक हिस्सा कालूराम के नाम दर्ज होगा । वादीगण की माता भीखी अपना हक हिस्से का बेचान करने हेतु अधिकृत नहीं होगी । तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वादीगणों सख्या 1 ता 5 का हिस्सा उपरोक्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.......................

Scanned by CamScanner